

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 959/2024

अनवान : -

1. सांवरमल पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. प्रताप पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
2. पप्पू राम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
3. राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
4. सुल्तान पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
5. रेशमी पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
6. मुकेश पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
7. जयराम पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
8. मन्जू पुत्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
9. पिण्टू पुत्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
10. विनोद पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
12. लोहड़ती पुत्री दाखा पुत्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955


उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: ०२/०१/२०२५

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स० 63/64 के ख० न० 13/1 की 17.4530 हैक्ट भूमि संयुक्त रूप से उदाराम पुत्र सोहन हिस्सा 213312/436325 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है व लोहड़ती पुत्री दाखा हिस्सा 4848/436325 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स० 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में से 16955/101676 हिस्सा भूमि उदाराम पुत्र सोहन व 28243/2541900 हिस्सा भूमि लोहड़ती पुत्री दाखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पिता उदाराम पुत्र सोहन जाति मेघवाल साकिन कोलासर तहसील नोहर फौत हो चुके हैं तथा वादी की बुआ दाखा पुत्री सोहनलाल का भी देहांत हो चुका है। वादी के एक भाई धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 है तथा इनके देहान्त के बाद वादी व प्रतिवादीगण विधिक वारिसान है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 12, 5, 8, 9 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 6 व 7 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा कोलासर के खाता स० 63/64 की कुल 17.4530 हैक्ट भूमि में से 8.726 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.454 हैक्ट व प्रतिवादी स० 1 अकेला 1.202 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.454 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.454 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 4


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अकेला 1.707 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 1.454 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे व रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स० 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.014 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.008 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.502 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.502 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 0.504 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे व मृतक उदाराम, लोहड़ती का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र उदाराम, धर्मपाल व मनोहरी तथा शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदाराम पुत्र सोहन व प्रतिवादीया संख्या 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता उदाराम पुत्र सोहन जाति मेघवाल साकिन कोलासर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा वादी की बुआ दाखा पुत्री सोहनलाल का भी देहांत हो चुका है। वादी के एक भाई धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 है तथा इनके देहान्त के बाद वादी व प्रतिवादीगण विधिक वारिसान है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 12, 5, 8, 9 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 6 व 7 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा कोलासर के खाता स० 63/64 की कुल 17.4530 हैक्ट भूमि में से 8.726 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.454 हैक्ट व प्रतिवादी स० 1 अकेला


अ

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1.202 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.454 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.454 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.707 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 1.454 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे व रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.014 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.008 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.502 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.502 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 0.504 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे व मृतक उदाराम, लोहड़ती का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स0 63/64 के ख0न0 13/1 की 17.4530 हैक्ट भूमि संयुक्त रूप से उदाराम पुत्र सोहन हिस्सा 213312/436325 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार है व लोहड़ती पुत्री दाखा हिस्सा 4848/436325 हिस्सा भूमि की खातेदार काशतकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में से 16955/101676 हिस्सा भूमि उदाराम पुत्र सोहन व 28243/2541900 हिस्सा भूमि लोहड़ती पुत्री दाखा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक उदाराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदाराम पुत्र सोहन व प्रतिवादीया संख्या 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी के पिता उदाराम पुत्र सोहन जाति मेघवाल साकिन कोलासर तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा वादी की बुआ दाखा पुत्री सोहनलाल का भी देहांत हो चुका है। वादी के एक भाई धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 है तथा इनके देहान्त के बाद वादी व प्रतिवादीगण विधिक वारिसान है जो अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 12, 5, 8, 9 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4, 6 व 7 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा कोलासर के खाता स0 63/64 की कुल 17.4530 हैक्ट भूमि में से 8.726 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.454 हैक्ट व प्रतिवादी स0 1 अकेला 1.202 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.454 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.454 हैक्ट,


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.707 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 1.454 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे व रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.014 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.008 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.502 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.502 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 0.504 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे व मृतक उदाराम, लोहड़ती का नाम कलमजन करवाकर इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कोलासर के खाता स0 63/64 की कुल 17.4530 हैक्ट भूमि में से 8.726 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.454 हैक्ट व प्रतिवादी स0 1 अकेला 1.202 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.454 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.454 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.707 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 1.454 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स0 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.014 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.008 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.502 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.502 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 0.504 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक उदाराम, लोहड़ती का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 959/2024
अनवान : -

1. सांवरमल पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. प्रताप पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
2. पप्पू राम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
3. राकेश कुमार पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
4. सुल्तान पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
5. रेशमी पत्नी धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
6. मुकेश पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
7. जयराम पुत्र धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
8. मन्जू पुत्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
9. पिण्टू पुत्री धर्मपाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
10. विनोद पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
11. सरोज पुत्री उदाराम जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
12. लोहडती पुत्री दाखा पुत्री सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी कोलासर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 959 सन 2024 निर्णय दिनांक ०२/०१/२०२५

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कोलासर के खाता स० 63/64 की कुल 17.4530 हैक्ट भूमि में से 8.726 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.454 हैक्ट व प्रतिवादी स० 1 अकेला 1.202 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.454 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.454 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1.707 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 1.454 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा कोलासर तहसील नोहर के खाता स० 66/66 की कुल 16.9460 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.014 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.008 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.502 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.502 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.249 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बहिब 0.504 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मृतक उदाराम, लोहडती का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ०२/०१/२०२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर